न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 27/2016 आवंटन नियम 14(4)

बद्री प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी हाज्या का बास तहसील दोसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. गंगू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी हाज्या का बास तहसील दौसा जिला दौसा
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिलाधीश दौसा
3. तहसीलदार, तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त करने आवंटन आदेश दिनांक 4.10.1977 साबिक खसरा नंबर 75/2 हाल खसरा नंबर 295, 296 ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा प्रार्थना पत्र अंतगत धारा 14 (4) आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगजीवनराम, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 22.06.2022

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1977 को ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा के साबिक खसरा नंबर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 गंगू पुत्र नारायण बैरवा को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुराना खसरा नंबर 75/2 वर्तमान खसरा नंबर 295, 296 ग्राम हाज्या का बास तहसील दौसा में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान में विधि व कानून के खिलाफ जाकर दिनांक 4.10.1977 को प्रार्थी की गैर मौजूदगी में अप्रार्थी गंगू को भूमि आवंटन पटवारी की झूंठी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए कर दी गई। आवंटन कमेटी ने मौके की स्थिति नहीं देखी कि भूमि पर किस व्यक्ति का कब्जा है। खसरा नंबर 75/2 पर प्रार्थी का पिछले लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी कब्जा है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि दर्ज थी जिसका आवंटन किया जाना कानून गलत है। भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए राज्य सरकार [illegible] एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से कोई अनापत्ति नहीं ली [illegible] का कोई भी सदस्य आवंटन के समय उपस्थित नहीं था। विधि व कानून के [illegible] भूमि का आवंटन किया गया है जो अपने आप में शून्य एवं प्रभावहीन है। [illegible] ने दिनांक 4.10.1977 [illegible] झूंठी रिपोर्ट पेश की है जो कि विश्वसनीय नहीं है। भूमि का कब्जा दिया जाना विधि [illegible] है। भूमि का कब्जा दिये जाने के समय गांव का कोई भी व्यक्ति बतौर साक्ष्य नहीं था ना ही शिनाख्त में किसी राजस्व अधिकारी, पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक या तहसीलदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

हस्ताक्षर नहीं है। संपूर्ण कोरम के आधार पर भूमि का आवंटन नहीं किया गया जिसके आधार पर भी भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है। गंगू पुत्र नारायण बैरवा द्वारा आज तक भी आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। कूटरचित खातेदारी के आधार पर भी जिससे दिनांक 11.12.2015 को बैंक ऑफ इंडिया शाखा जटवाडा जिला जयपुर से विधि विरूद्ध किसान क्रेडिट कार्ड बनवा कर बैंक से ऋण ले लिया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। चरागाह भूमि आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए कृषि प्रयोजनार्थ भूमि चरागाह में से आवंटन नही की जा सकती है। चूंकि प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन का मियाद का कोई बिन्दु नहीं होता है। मियाद का बिन्दु जानकारी के 30 दिवस से शुरू होता है। अवैध आवंटन अपने आप में शून्य व प्रभावहीन है। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 13.6.2014 को हुई है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी दलील दी कि सार्वजनिक उपयोग एवं चरागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है, जिसके समर्थन में 2011 (i) RRT 219 का उद्धरण पेश किये गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में संवत 2003 से 2022 व 2024 से 2027, 2028 से 2031 व 2032 से 2035 की नकल जमाबदी की प्रति एवं मयाद के बिन्दु के समर्थन में (1)AIR 2011 (NOC) 192 AP, (2) 2010 RNJ SC 250 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1977 को ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नंबर 75/2 (हाल खसरा नंबर 295 व 296) में से रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 गंगू पुत्र नारायण को किया गया आवंटन को निरस्त फरमावें।।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1977 को अप्रार्थी गंगू पुत्र नारायण जाति बैरवा को खसरा नंबर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। खसरा नंबर 75/2 के हाल खसरा नंबर 295 व 296 बने है। अप्रार्थी गंगू द्वारा सिवायचक भूमि खसरा नंबर 75/2 में से भूमि आवंटन करने हेतु दिनांक 1.10.1977 को विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 4.10.1977 में भी अप्रार्थी गंगू का ही राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 75/2 में अतिक्रमण बताता है। भूमि आवंटन के आवेदन पत्र की पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 75/2 की किस्म सिवाय चक लगानी भूमि बताई गई है जो कि पशुओं के चराई के काम आना व्यक्त किया है। भूमि चरागाह नही होकर सिवायचक भूमि है जो कि पशुओं के चराने के काम आ रही है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी गंगू के पक्ष में भूमि का आवंटन पूर्ण कोरम में विधिवत रूप से किया गया है। आवंटन के समय कोरम पूर्ण था। अप्राथी गंगू द्वारा भूमि आवंटन के बाद आवंटन की शर्तों की पालना की गई एवं भूमि पर नियमित रूप से काश्त करता आ रहा है। आवंटन शर्तों की पालना करने एवं आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने पर अप्रार्थी गंगू को राजस्व अभियान कैंप दिनांक 16.6.1989 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण स्वीकार हुआ। नामान्तरण आदेश की फेहरिश्त में आवंटन की शर्तों की पालना एवं भूमि पर कब्जा होने का अंकन पटवारी हल्का द्वारा किया गया है। भूमि आवंटन के लगभग 40 वर्ष बाद उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) पेश किया गया है। साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ मियाद तय करने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि अप्रार्थी गंगू को भूमि आवंटन की जानकारी प्रार्थी को थी एवं तत्समय प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा था तो तत्समय ही उक्त भूमि आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता था। अब अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है और भूमि को बैंक ऑफ इंडिया शाखा

......निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested

जटवाडा जिला जयपुर के रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लिया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बहस में यह भी दलील दी गइ कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन रदद नहीं किया जा सकता है। उक्त दलील के समर्थन में 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 एवं 2016–17 (Supp) आरआरटी 271 के दृष्टान्त पेश किये गये। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को हडपने एवं अप्रार्थी संख्या 01 को हैरान व परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) भूमि आवंटन के अत्यधिक विलंब से लगभग अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 40 वर्ष बाद पेश किया गया है। साथ ही प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी का यदि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होता तो तत्समय अर्थात भूमि आवंटन के तत्काल बाद उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाता। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने का भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा खतौनी बन्दोबस्त संवत 2003 से 2022 पेश की गई जिसमे ग्राम हाज्या का बास स्थित भूमि खसरा नंबर 380 रकबा 6 बीघा भूमि की किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है। साथ ही मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया गया जिसके अनुसार भूमि खसरा नंबर 380 के हाल खसरा नंबर 75/2 बने है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1977 को चरागाह भूमि में से अप्रार्थी गंगू को भूमि आवंटित की गई है जो कि आवंटन योग्य भूमि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 4.10.1977 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट दिनांक 9.4.2021 के साथ पटवारी हल्का महेसरा कलां की रिपोर्ट एवं नकल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी संवत 2076 व 2077 आदि का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 75/2 जिसके हाल खसरा नंबर 295 व 296 रकबा 1.00है. बने है, जो कि संवत 2076 व 2077 में पडत पडी हुई है अर्थात भूमि पर खातेदार काश्तकार द्वारा काश्त नहीं की जा रही है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी गंगू पुत्र नारायण बैरवा निवासी हाज्या का बास को ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नंबर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन के बाद राजस्व अभियान कैंप में अप्रार्थी गंगू को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण स्वीकार हुआ है। नकल खसरा परिवर्तनशील से भूमि साबिक खसरा नंबर 75/2 के वर्तमान खसरा नंबर 295 व 296 बने है जिसकी खातेदारी गंगू पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी हाज्या का बास खातेदार राहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जटवाडा मूर्तहीन दर्ज रेकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया शाखा जटवाडा के रहन दर्ज है। पत्रावली में संलग्न अप्रार्थी की भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें भूमि 75/2 में से एक बीघा भूमि का आवंटन चाहा गया है किन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को खसरा नंबर 75/2 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। मूल आवंटन आदेश की आवंटन आदेश दिनांक 4.10.1977 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि चरागाह है जो कि आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। पत्रावली में संलग्न नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम हाज्या का बास तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 4 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दौसा संवत 2003 से 2022, नकल जमाबंदी संवत 2024 से 2027, 2028 से 2031 में भी भूमि की किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 व 2077 में भूमि पडत पडी हुई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 4.10.1977 के द्वारा ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नंबर 75/2 में से आवंटी द्वारा एक बीघा भूमि का आवंटन चाहा गया है जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.10.1997 को खसरा नंबर 75/2 में से 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का का आवंटन किया गया है जो कि चरागाह भूमि है एवं चरागाह भूमि आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी में नहीं आने व प्रतिबंधित श्रेणी में आने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी गंगू पुत्र नारायण बैरवा को ग्राम हाज्या का बास स्थित आराजी खसरा नंबर 75/2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है जिसे हम निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.5.1967 द्वारा ग्राम हाज्या का बास अप्रार्थी संख्या 01 गंगू पुत्र नारायण बैरवा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि भूमि को राजस्व रिकार्ड में पूर्ववत चरागाह दर्ज की जावे एवं प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे अविलम्ब हटवाये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:49 IST
Reason: SelfAttested